

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2599]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2013/कार्तिक 22, 1935

No. 2599]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2013/KARTIKA 22, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2013

का.आ. 3440(अ). —यतः, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे सामान्यतः पी एल ए कहा जाता है तथा इसके राजनीतिक स्कंध, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) तथा इसके सशस्त्र स्कंध, द “रैड आर्मी”, द कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसके सशस्त्र स्कंध जिसे “रैड आर्मी” भी कहा जाता है, द कांगली याओल कान्बा लुप (के वाई के एल), समन्वय समिति (छः घाटी आधारित भूमिगत संगठनों का समूह) तथा मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) (जिन्हें इसमें इसके बाद सामूहिक रूप से मैतई उग्रवादी संगठन कहा जाएगा) का लक्ष्य और उद्देश्य मणिपुर राज्य को भारत से पृथक करके स्वतंत्र मणिपुर का गठन करना है और ये—

- (i) भारत से मणिपुर राज्य को अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर के निर्माण के अपने लक्ष्य की खुले तौर पर घोषणा किए हुए हैं;

- (ii) अपने उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल तथा प्रयोग करते रहे हैं;
- (iii) मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमला करते रहे हैं;
- (iv) अपने संगठनों के लिए निधियां इकट्ठी करने के लिए नागरिकों को डरा-धमका रहे हैं, जबरन धन वसूली कर रहे हैं तथा लूट-खसोट कर रहे हैं;
- (v) अपने अलगाववादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता की राय अपने हित में बदलने तथा शस्त्र और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं;
- (vi) आश्रय, प्रशिक्षण और गुप्त रूप से शस्त्र एवं गोला-बारूद प्राप्त करने के लिए पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं;

और यतः, मैतई उग्रवादी संगठनों की विधिविरुद्ध और हिंसक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) वर्ष 2011 में 202, 2012 में 401 और 31 अगस्त, 2013 तक 99 हिंसक घटनाओं में संलिप्तता;
- (ii) वर्ष 2011 में 14 व्यक्तियों (2 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित), 2012 में 16 व्यक्तियों (7 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित) और 31 अगस्त, 2013 तक 7 व्यक्तियों (4 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित) की हत्या;

और यतः, केन्द्र सरकार की राय है कि उक्त कारणों से मैतई उग्रवादी संगठनों के कार्यकलाप भारत की प्रभुसत्ता और एकता के प्रतिकूल हैं तथा यह कि ये विधिविरुद्ध संगम हैं;

अतः, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे सामान्यतः पी एल ए कहा जाता है तथा इसके राजनीतिक स्कंध, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) तथा इसके सशस्त्र स्कंध 'द रैड आर्मी', द कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी) तथा इसके सशस्त्र स्कंध, जिसे 'रैड आर्मी' भी कहा जाता है, द कांगली याओल कान्बा लुप (के वाई के एल), समन्वय समिति (छः घाटी- आधारित भूमिगत संगठनों का समूह) तथा मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) को उनके सभी गुटों, स्कंधों तथा अग्रणी संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

और, यतः, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि यदि मैतई उग्रवादी संगठनों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को रोका नहीं जाता और तत्काल नियंत्रित नहीं किया जाता तो वे—

- () अपने अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी तथा हिंसात्मक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए अपने काडरों को जुटाएंगे;
- () भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता की विरोधी ताकतों के सहयोग से राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों का प्रचार करेंगे;
- () नागरिकों की और अधिक हत्याएं करने तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में संलिप्त होंगे;
- () अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र तथा गोला-बारूद प्राप्त करेंगे;
- () अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से जबरन विपुल धनराशि वसूल करेंगे और इकठ्ठी करेंगे;

और, यतः, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि उल्लिखित मैतई उग्रवादी संगठनों के क्रियाकलापों के मद्देनजर यह आवश्यक है कि मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे सामान्यतः पी एल ए कहा जाता है तथा इसके राजनैतिक स्कंध, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) तथा इसके सशस्त्र स्कंध 'द रैड आर्मी', द कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी) तथा इसके सशस्त्र स्कंध, जिसे 'रैड आर्मी' भी कहा जाता है, द कांगली याओल कान्बा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (छः घाटी आधारित भूमिगत संगठनों का समूह) तथा मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) को उनके सभी गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों सहित तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया जाए, तथा तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश के अध्यक्षीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 11011/44/2013-एन.ई.व]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2013

S.O 3440(E).—Whereas, the Peoples' Liberation Army generally known as PLA, and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglwi Yaol Kanba Lup (KYKL), Coordination Committee (conglomerate of six valley-based UG outfits) and the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have the aim and objective of the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India and have—

- (i) openly declared their objectives as the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;
- (ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;
- (iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;
- (iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their Organisation;
- (v) been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective; and
- (vi) been maintaining camps in neighboring countries for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition;

And Whereas, the unlawful and violent activities of Meitei Extremist Organisations include-

- (i) Involvement in 202 violent incidents in the year 2011, 401 in 2012 and 99 upto 31st August, 2013;
- (ii) Killing of 14 persons (including 2 security force personnel) in the year 2011, 16 persons (including 7 security force personnel) in the year 2012, and 7 persons (including 4 security force personnel) upto 31st August, 2013;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that for the aforesaid reasons activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the Peoples' Liberation Army generally known as PLA, and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), CorCom (conglomerate of six valley-based UG outfits) and the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) along with all their factions, wings and front organizations, as unlawful associations;

And Whereas, the Central Government is also of the opinion that if the unlawful activities of the Meitei Extremist Organisations are not curbed and controlled immediately, they will take the opportunity of-

- (i) mobilizing their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;
- (ii) propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to sovereignty and integrity of India;
- (iii) indulging in increased killings of civilians and targeting of the police and security force personnel;
- (iv) procuring and inducting more illegal arms and ammunitions from across the international border;

- (v) extorting and collecting huge funds from the public for their unlawful activities;

And Whereas, the Central Government is further of the opinion that having regard to the activities of Meitei Extremist Organisations mentioned above, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organizations viz. Peoples' Liberation army, generally known as the PLA, and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), CorCom (conglomerate of six valley-based UG outfits) and the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) along with all their factions, wings and front organizations as 'unlawful associations' with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/44/2013-NE-V]
SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.